

मुख्य पोस्ट मास्टर जनरल डाक
परिमंडल, के पत्र क्रमांक 22/153,
दिनांक 10-1-06 द्वारा पूर्व भुगतान
योजनान्तर्गत डाक व्यय की पूर्व अदायगी
डाक द्वारा भेजे जाने के लिए अनुमत.



पंजी. क्रमांक भोपाल डिवीजन
म. प्र.-108-भोपाल-09-11.

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 439]

भोपाल, सोमवार, दिनांक 30 अगस्त 2010—भाद्र 8, शक 1932

वाणिज्यिक कर विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल
भोपाल, दिनांक 30 अगस्त 2010

क्र. एफ-ए-3-15-2010-1-पांच-(72).—मध्यप्रदेश वेट अधिनियम, 2002 (क्रमांक 20, सन् 2002) की धारा 3 की उपधारा (4) तथा धारा 3-क द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा, नीचे दी गई सारणी के कॉलम (2) में उल्लेखित उपायुक्त, वाणिज्यिक कर को कॉलम (3) में विनिर्दिष्ट क्षेत्र के लिये अपील प्राधिकारी नियुक्त करती है और क्षेत्र में उक्त अधिनियम की धारा 46 के अधीन लंबित या उद्भूत होने वाले अपील प्रकरणों को निपटाने की शक्तियां प्रदान करती है. यह दायित्व उनके वर्तमान दायित्वों के अतिरिक्त होगा :—

सारणी

| अनुक्रमांक (1) | उपायुक्त का नाम तथा वर्तमान पदस्थापना (2) | क्षेत्र (3) |
|-------------------|--|----------------------|
| 1. | श्री के. एन. मीणा, उपायुक्त, वाणिज्यिक कर, सागर संभाग | सागर संभाग—1, 2, 3 |
| 2. | श्री आर. सी. पालीवाल, उपायुक्त, वाणिज्यिक कर, मुख्यालय, इन्दौर | इन्दौर संभाग—1, 2, 3 |
| 3. | श्री राघवेन्द्र दुबे, उपायुक्त, वाणिज्यिक कर, मुख्यालय, इन्दौर | इन्दौर संभाग—1, 2, 3 |

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. के. यादव, अपर सचिव.

भोपाल, दिनांक 30 अगस्त 2010

क्र. एफ-ए-3-15-2010-1-पांच-(72).—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-ए-3-15-2010-1-पांच-(72), दिनांक 30 अगस्त 2010 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. के. यादव, अपर सचिव.

Bhopal, the 30th August 2010

No. F. A-3-15-2010-1-V-(72).—In exercise of the powers conferred by Sub-section (4) of Section 3 and Section 3-A of the Madhya Pradesh Vat Act, 2002 (No. 20 of 2002), the State Government, hereby, appoints Deputy Commissioner, Commercial Tax, mentioned in column (2) of the table below as Appellate Authority for the area specified in column (3) and confer the powers to dispose off the appeal cases pending or arising under section 46 of the said Act in area. The responsibility shall be in addition to their present responsibilities :—

TABLE

| S.No. (1) | Name and present posting if Deputy Commissioner (2) | Area (3) |
|--------------|--|-------------------------|
| 1. | Shri K. N. Meena, Deputy Commissioner, Commercial Tax, Sagar Division. | Sagar Division—1, 2, 3 |
| 2. | Shri R. C. Paliwal, Deputy Commissioner, Commercial Tax, Head quarters, Indore. | Indore Division—1, 2, 3 |
| 3. | Shri Raghwendra Dubey, Deputy Commissioner, Commercial Tax, Head quarters, Indore. | Indore Division—1, 2, 3 |

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
R. K. YADAV, Addl. Secy.